27.3.23

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थीगण के वकील एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित।
विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकील जवाब पेश करने का मौका चाहते है, इस हेतु उन्हे अंतिम अवसर दिया जाता है।
पत्रावली वास्ते जवाब विप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा दीगर विप्रार्थीगण का इन्तजार होकर पत्रावली बतारीख 17.4.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

17.04.2023

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थीगण के वकील उपस्थित।
वि प्रार्थी सं. 1 व 2 के वकील उपस्थित। जवाब ~~शेष विप्रार्थी~~ पेश किया जा चुका है।
शेष विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि मूल वाद ग्राम मजल तहसील-समदड़ी के ख. सं. 68, 83, 89 व 74 कुल रकबा 96.05 बीघा के खातेदार एव लाऔलाद फौत इन्द्रचन्द के वारिस की हैसियत से जगाराम के छहों वारिसान में से प्रत्येक परिवार को 1/6-1/6 हिस्सा घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। साथ ही यह भी कथन किया है कि इन्द्रचन्द ने अपने जीवन काल में उक्त भूमि किसी को [illegible] यथा बेचान, बख्शीश या वसीयत से [illegible] है। जबकि विप्रार्थी सं. [illegible] कथन है कि इन्द्रचन्द ने उक्त आराजी जरिये वसीयतनामा उनके नाम करदी थी।
यद्यपि पक्षकारान के वास्तविक हकों का निर्धारण वाद की विधिवत सुनवाई के बाद ही पारित निर्णय से होगा, तथापि अदालत वर्तमान परिस्थिति में किसी भी पक्ष को उनके हकों से स्थगन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:54:39 IST
Reason: SelfAttested

के जरिये प्रतिबन्धित किया जाना उचित नहीं समझती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मुलाबाद के संलग्न हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:54:39 IST
Reason: SelfAttested